फा.सं.9-2/2016-एफईएस-ई.एस.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

कमरा सं. 450, कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 02 अगस्त, 2016

श्री राजेश कुमार गंगवार
ग्राम - हरदुआ, तहसील - मिलक,
जिला - रामपुर, उत्तर प्रदेश

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने दिनांक 02.07.2016 के पत्र का अवलोकन करें। कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण से संबंधित मद 1 एवं 2 के संबंध में उल्लेखनीय है कि सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिशों, राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों के आधार पर कृषि जिन्सों के लिए समर्थन मूल्य पर निर्णय लेती है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, बाजार मूल्यों में प्रवृतियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव, आदि सम्मिलित है तथा सरकार, केन्द्रीय एवं राज्य की सार्वजनिक और सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से खरीद संचालनों का आयोजन इस उद्देश्य के साथ करती है कि बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न हो।

न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने से पहले, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग विभिन्न राज्य सरकारों के कृषि एवं खाद्य विभागों, कृषक संगठनों, जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते है तथा अन्य पणधारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श करता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम मूल्य के अनुरूप है। उत्पादकों के पास यह विकल्प है कि वे अपने उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेन्सियों को अथवा खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभप्रद है, को बेचें।

पुनीत कुमार

(पुनीत कुमार)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि:

सहायक निदेशक एवं सीएपीआईओ, सीपीआईओ, कमरा सं-539, आरटीआई एकक, सीसी प्रभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।